



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2012/ज्येष्ठ 18, 1934

No. 147]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2012/JYAISTHA 18, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012

(2012 का 16)

सं. 116-5/2012-एमएन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1 (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
  - (2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2 दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम 6, (जिसे

आगे मूल विनियम कहा गया है) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“बशर्ते आगे कि प्रथम परन्तुक के पैरा (क) में जिनका प्रावधान है, उन्हें छोड़कर, उन सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं पर लागू किए जाएंगे, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सिविल) संख्या 423/2010 एवं रिट याचिका(सिविल) संख्या 10/2011” में पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार निरस्त हो जाएंगे” ।

3. मूल विनियमों के विनियम 12 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“बशर्ते कि खंड (ख) में जिनका प्रावधान है, उन्हें छोड़कर, उन सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं पर लागू किए जाएंगे, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका (सिविल) संख्या 423/2010 एवं रिट याचिका(सिविल) संख्या 10/2011” में पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार निरस्त हो जाएंगे” ।

राजीव अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन III/4/142/12/असा.]

**टिप्पणी 1 :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड-II), दिनांक 23 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित एवं निम्न के द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) अधिसूचना संख्या 116-1/2010, दिनांक 28 जनवरी, 2010 (2010 का 1)

(ii) अधिसूचना संख्या 116-1/2010, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (2010 का 5)

**टिप्पणी 2 :** व्याख्यात्मक ज्ञापन, इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है ।

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे, जिनमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी संव्यवहार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण के दिनांक 18 जनवरी, 2011 के निर्देश द्वारा, देश के सभी दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में दिनांक 20 जनवरी, 2011 से इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लागू हुए।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सिविल) संख्या 423/2010 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2011 पर पारित, अपने दिनांक 02 फरवरी, 2012 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया है कि :

- (i) दिनांक 10/01/2008 को जारी दो प्रेस विज्ञापितियों के अनुसरण में प्राइवेट प्रतिवादियों को दिनांक 10/01/2008 से पहले या उसके उपरांत प्रदान किए गए लाइसेंस तथा लाइसेंसधारकों को बाद में आबंटित किए गए स्पेक्ट्रम को गैरकानूनी घोषित कर, निरस्त किया गया।
- (ii) उपर्युक्त निर्देश, चार माह के पश्चात प्रभावी होंगे।

3. इसके उपरांत, भारत सरकार के आवेदन में दिनांक 02-02-2012 के निर्णय के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण एवं नीलामी करने हेतु मांगी गई अनुमति पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 24 अप्रैल, 2012 के आदेश में कहा है:-

“ हमारी राय में, आवेदन में की गई प्रार्थना को सिर्फ और आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित होगा तथा अदालत द्वारा निर्धारित समयावधि को अगस्त, 2012 के अंत तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, आवेदन का निम्नलिखित निबंधन पर निस्तारण किया जाता है :-

- 1) दिनांक 02/02/2012 को रिट याचिका(सिविल) संख्या 423/2010 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2011 पर पारित निर्णय में, नए सिरे से लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीलामी करने तथा स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए निर्दिष्ट की गई समय-सीमा को 31/08/2012 तक बढ़ाया जाता है। इसका यह अर्थ होगा कि आवेदक द्वारा नीलामी को दिनांक 31/08/2012 तक या इससे पूर्व अनिवार्य रूप से अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
- 2) मौजूदा लाइसेंस, दिनांक 07/09/2012 तक निरंतर संचालन करने के हकदार होंगे।

4. उपर्युक्त आदेश के मद्देनजर एवं ऐसे लाइसेंसधारकों, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश की तिथि से चार माह के पश्चात निरस्त कर दिए गए हैं, के उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी विनियम, 2009 के विनियम 6 एवं 12 को संशोधित किया गया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2012

**Telcommunication Mobile Number Portability (Third Amendment) Regulations, 2012**  
**(16 of 2012)**

**No. 116-5/2012-MN.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:-

1(1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Third Amendment) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 6 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), (hereinafter referred to as the principal regulations), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“ Provided further that nothing contained in para (a) of the first proviso shall apply to the subscribers of those service providers whose licences stand quashed pursuant to the judgment and order passed by the Hon’ble Supreme Court in writ petition (civil) No. 423 of 2010 and writ petition (civil) No. 10 of 2011.”

3. In regulation 12 of the principal regulations, after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing contained in clause (b) shall apply to the subscribers of those service providers whose licences stand quashed pursuant to the judgment and order passed by the Hon’ble Supreme Court in writ petition (civil) No. 423 of 2010 and writ petition (civil) No. 10 of 2011.”

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT. III/4/142/12/Exty.]

**Note 1 :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II), dated 23rd September, 2009 and amended *vide* :

(i) Notification No. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)

(ii) Notification No. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)

**Note 2 :** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

### Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of mobile number portability in the country. The Regulations 6,7,8,9,10,11,12 and 13 of these regulations came into effect in all telecom service areas in the country from 20<sup>th</sup> January 2011 through the Authority’s direction dated 18<sup>th</sup> January, 2011.

2. Hon’ble Supreme Court in its Judgment dated 2<sup>nd</sup> February, 2012, in the WRIT PETITION (CIVIL) NO. 423 OF 2010 and WRIT PETITION (CIVIL) NO. 10 OF 2011 *inter alia* ordered that:

(i) The licences granted to the private respondents on or after 10.1.2008 pursuant to two press releases issued on 10.1.2008 and subsequent allocation of spectrum to the licensees are declared illegal and are quashed.

(ii) The above direction shall become operative after four months.

3. Subsequently the Hon’ble Supreme Court in its order dated 24<sup>th</sup> April, 2012 in connection with the application by Union of India for clarification of judgment dated 2.2.2012 and for grant of permission to conduct the auction, the Hon’ble Supreme Court stated

2070 G.I/12-2

*“In our view, it will be just and proper to partially accept the prayer made in the application and extend the time fixed by the Court up to the end of August, 2012. Accordingly, the application is disposed of in the following terms:*

*1) The time specified in judgment dated 2.2.2012 in Writ Petition No.423 of 2010 and Writ Petition No. 10 of 2011 for conducting the auction for grant of fresh licenses and allocation of spectrum is extended up to 31.08.2012. This would necessarily mean that the applicant shall have to finalise the auction on or before 31.08.2012.*

*2) The existing licenses shall be entitled to continue to operate till 07.09.2012.”*

4. In view of the above order, and in order to facilitate the porting of the mobile number of subscribers of the licensees whose licenses have been quashed by the Hon'ble Supreme court w.e.f four months from the date of the order, the regulation 6 and 12 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 have been amended.